

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

क्रमांक / राज0 / प्र0सं0 / 187 / 2019

दिनांक 02/11/2020

प्रेषित,

तहसीलदार, माण्डलगढ़

विषय :- पत्थरगढ़ी करने बाबत।

सुनवान

- 1 काना पिता भागीरथ घाकड़ निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ़।

—प्रार्थी

बनाम


- 1 खाना पिता गोपी घाकड़ निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ़।
- 2 अब्दुल हकीम पिता नामालुम पटान निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ़।
- 3 धनश्याम पिता ईश्वर घाकड़ निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ़।
- 4 भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवधिक प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि की घाम काछोला प.ह. काछोला की सरहद में स्थित खाता संख्या 101 की आराजी संख्या 71/1 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, आराजी नम्बर 3349/2650 रकबा 7 बिस्वा, आराजी नम्बर 3350/2776 रकबा 11 बिस्वा कित्ता 3 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा भूमि बशामलात पट्टीसीयान के पत्थरगढ़ी की जावे। प्रार्थी कमिश्नर फीस 500/- रुपये भौके पर वक्त पत्थरगढ़ी अदा करे। भौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किरती अन्य का पाया जावे तो सदाम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 1 माह में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।


उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

